

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च 2024 में निहित प्राविधानानुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वेटनरी फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती सीन	नवीन तैनाती सीन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कमल किशोर वर्मा, वेटनरी फार्मासिस्ट	पशुचिकित्सालय चाकीसैण, जनपद पौड़ी	पशुचिकित्सालय भनोली, जनपद अल्मोड़ा	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।

संख्या 1685/स्था०एक/वा०स्थाना०(वे०फा०)/2024-25 दिनांक 31 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल(हल्द्वानी), नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।